दिनांक 26.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 32/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, अध्यक्ष पुलिस शिक्षा समिति, द्वारा 34 पुलिस माडर्न स्कूल के प्रबंधको (पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक) के साथ की गयी बैठक

श्री ओ0पी0 सिंह, अध्यक्ष पुलिस शिक्षा समिति/ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 34 पुलिस माडर्न स्कूल के प्रबंधको (पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक) के साथ बैठक में स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा उनके निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी पीएसी, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी एवं पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) उपस्थित रहे।

अध्यक्ष पुलिस शिक्षा समिति/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बैठक में पुलिस मार्डन स्कूलों की समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किये गये।

- पुलिस मार्डन स्कूल में अध्यापकों की रिक्तियों के संबंध में।
- शिक्षा निधि में प्राप्त धन के उपयोग के संबंध में।
- बोर्ड से सम्बद्धता की स्थिति के संबंध में।
- अध्यापको के ईपीएफ की कटौती के संबंध में।
- पेपर लेस पत्राचार को प्रोत्साहित करने हेतु ईमेल आईडी का उपयोग।
- पुलिस माडर्न स्कूल की मॉनटरिंग हेतु वेबसाईट बनाये जाने के कार्यवाही की समीक्षा आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना मिर्जापुर

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चांदी के आभूषण**
- **चोरी के 22 हजार रू0 नगद**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिलें**
- **01 देशी रायफल 315 बोर**
- **01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2019 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जगपुरा जाने वाली सड़क पर भट्टे के पास घेराबंदी कर 06 शातिर अभियुक्तों 1.नेत्रपाल, 2. शरदवीर, 3.जितेन्द्र उर्फ गर्रा, 4.देवेन्द्र उर्फ हग्गू, 5.कश्मीर उर्फ कल्लू, 6.विवेक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के सोने—चांदी के आभूषण, चोरी के 22 हजार रू0 नगद, चोरी की 03 मोटर साइकिलें, 01 देशा रायफल 315 बोर, 01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने ग्राम नत्थीनगला थाना कलान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2019 धारा 457/380 भादवि की चोरी की घटना सहित चोरी की कईघटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नेत्रपाल निवासी नया गांव थाना कलान जनपद शाहजहांपुर।
2. शरदवीर निवासी कीलापुर थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर।
3. जितेन्द्र उर्फ गर्रा निवासी वसई थाना कलान जनपद शाहजहांपुर।
4. देवेन्द्र उर्फ हग्गू निवासी कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूं।
5. कश्मीर उर्फ कल्लू निवासी थरिया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।
6. विवेक निवासी कस्बा व थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर।

बरामदगी

1. चोरी के सोने–चांदी के आभूषण(चोरी के 02 पाय, 01 कमर बिछुआ, 02 झाले कान के व नाक की नथ, 01 सोने की जंजीर)
2. चोरी के 22 हजार रू0 नगद
3. चोरी की 03 मोटर साइकिलें
4. 01 देशी रायफल 315 बोर
5. 01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि

जनपद कानपुर नगर/थाना चमनगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लाखों रूपये के सोने–चांदी के जेवरात**
- **चोरी के 15 हजार रू0 नगद**
- **02 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 26.09.2019 की रात्रि को थाना चमनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जे0के0कॉटन मिल के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में दोनो बदमाश 1.राजेश, 2.मो0फिरोज उफट अजमेरी घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के लाखों रूपये के सोने–चांदी के जेवरात, चोरी के 15 हजार रू0 नगद, 02 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त राजेश के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग एवं अभियुक्त मो0फिरोज उर्फ अजमेरी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चमनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजेश निवासी गुमटी नं0–5 थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर।
2. मोहम्मद फिरोज उर्फ अजमेरी निवासी नाजिरबाग थाना बेकनगंज जनपद कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी के लाखों रूपये के सोने–चांदी के जेवरात(सोने के 03 हार, सोने के 04 कंगन, सोने के 02 कडे, सोने की 03 अंगूठी, सोने के 05 जोड़ी कान के झुमके, सोने के 02 कान के झाले, सोने का 01 बेंदा, सोने की 01 चेन, 01 सोने की सफेद मोती की माला, सोने की 01 नथुनी, 01 सोने की सफेद कांच की माला, सोने की 03 चूडी मय कांच के नग, सोने के 02 कडे मय कांय के नग, 01 सोने की अंगूठी मय कांच नग, 01 सोने की बाली , सोने के 01 जोडी कान के कुण्डल, सोने की 01 कांच की बाली मय नग, चांदी की 02 अंगूठी, चांदी की 01 कंठी माला आदि)
2. चोरी के 15 हजार रू0 नगद
3. 02 तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि

<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 26.09.2019 को थाना सराय अकिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरैया पुलिया के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी बड़का उर्फ मो0आकिब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. बड़का उर्फ मो0आकिब निवासी घोसिया थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज</u>

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 25.09.2019 की सायं थाना सफदरगंज, थाना रामनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिकौली के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित

अपराधी लवकुश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश निवासी बिकौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद बागपत/थाना रमाला

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **02 तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26.09.2019 को थाना रमाला व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत से पुरस्कार घोषित अपराधी जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना रमाला से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी

1–02 तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 26.09.2019 को थाना बारादरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बारादरी क्षेत्रान्तर्गत घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित आसिफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बाराबरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 359/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आसिफ निवासी ग्राम उडला जागीर थाना बिथरीचैनपुर जनपद बरेली।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिले बरामद**

दिनांक 26.09.2019 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे बुलन्दशहर तिराहे पर चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोरों 1.अभिषेक, 2.मोहित को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 05 मोटर साइकिलें आदि बरामद हुई।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जनपद बुलन्दशहर व उसके आसपास से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिषेक निवासी गोमना थाना केशवनगर जनपद हापुड़।
2. मोहित निवासी गोमना थाना केशवनगर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1. चोरी की 05 मोटर साइकिलें

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर</u>

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.09.2019 की रात्रि को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नयागांव भुम्मा की तरफ जाने वाली नहर के किराने चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त लाखन उर्फ काला घायल हो गया, जिसे 01 अन्य अभियुक्त महावीर सहित गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त लाख उर्फ काला के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त महावीर के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आबकारी एकट व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. लाखन उर्फ काला निवासी ग्राम जोगेन्द्रनगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम ईनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

2. महावीर निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. लूट की 01 मोटर साइकिल
2. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
3. 01 तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 4600/—रू0 नगद**
- **02 तमंचें 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2019 की सायं थाना नकुड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बेहटा रोड़ आसराखेड़ी मोड़ के पास घेराबंदी कर 02 शातिर अभियुक्तों 1.गौरव उर्फ कन्टू, 2.टिंकू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 4600/—रू0 नगद, 02 तमंचें 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2019 धारा 392 भादवि की लूट की घटना सहित लूट की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. गौरव उर्फ कन्टू निवासी रणदेवा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. टिंकू निवासी कुराली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1. लूट के 4600/—रू0 नगद
2. 02 तमंचें 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल

——————

दिनांक 26.09.2019

प्रेस विज्ञप्ति 31/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर डी0जी0पी0 नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सतर्क दृष्टि

जिस प्रकार से डी0जी0पी0 नियंत्रण कक्ष के Integrated Supervision से कानून एवं व्यवस्था में उल्लेखनीय सफलता मिली है, उसी को नया आयाम देते हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की भी मॉनीटरिंग की जायेगी।

यूपी 100 के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। जिन्हें डी0जी0पी0 नियंत्रण कक्ष से Integrate कर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध/लोक शिकायत/कानून व्यवस्था के माध्यम से समयबद्ध अनुश्रवण किया जायेगा। गलत शिकायत पाये जाने पर शिकायतकर्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही होगी तथा प्रत्येक दशा में शिकायतकर्ता को वस्तुस्थिति/परिणाम से अवगत कराने के निर्देश भी दिये गये है। मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी होगी। डीजीपी मुख्यालय भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हेतु प्रतिबद्ध है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने लगातार भ्रष्टाचार निवारण के लिये बेहतर कार्य किया है। शिकायतों के क्रम में विभिन्न विभागों में सफल ट्रैप की कार्यवाही की है। भविष्य में भी मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, आई0जी0आर0एस0, यूपी 100, सोशल मीडिया सेल आदि स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को आवश्यकतानुसार भ्रष्टाचार निवारण संगठन के माध्यम से तार्किक निष्पत्ति (Logical Conclusion) तक ले जाया जायेगा।

वर्ष 2014 में ट्रैप के जहॉ 14 प्रकरण थे, वहीं वर्ष 2018 में 80 एवं वर्ष 2019 में अब तक 72 प्रकरणों में सफल ट्रेप किया गया।

इसे और प्रभावी बनाकर विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार पर निर्णायक विजय प्राप्त करने में हम सहायक होंगे।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भवन के "चिन्तन" सभागार में सी0जी0एच0एस0 की अनुमन्य दरों पर चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सा प्रतिनिधियों के साथ बैठक

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 26.09.2019 को पुलिस मुख्यालय में सी0जी0एच0एस0 की अनुमन्य दर पर चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश के चौदह जनपदों से आये हुए विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं निदेशकों के बैठक की गयी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु शासन एवं पुलिस विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों व उनके परिवार जनों की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति, सेवारत कर्मियों व उनके परिवार जनों को विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा अग्रिम, जीवन रक्षा निधि से आर्थिक सहायता एवं अपंग, विकलांग अथवा मानसिक रोग से ग्रस्त सेवारत कर्मियों व परिवार जनों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

सीजीएचएस दरों पर सेवायें उपलब्ध होने से पुलिस कर्मी आवश्यकता की स्थिति में अल्प व्यय में अपना एवं अपने परिवार का सुगमता से उपचार करा सकेंगे । इससे न केवल उनका स्वास्थ्य प्रबन्धन बेहतर होगा, बल्कि वे और तनाव मुक्त रहेंगे।

पुलिस महानिदेशक, द्वारा बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः—

- वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को व उनके आश्रितों का उपचार सरकारी चिकित्सालय में कराने तथा विशेष परिस्थिति में प्राइवेट चिकित्सालय में कराने हेतु नियमावली निर्धारित की गयी है, जिस पर उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विचार–विमर्श किया गया।

- उ0प्र0 पुलिस कर्मियों को कम लागत पर अधिकाधिक स्वास्थ्य संबंधी बेहतर चिकित्सीय सुविधाये उपलब्ध कराये जाने एवं आर्थिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर सी0जी0एच0एस0 चिकित्सा प्रणाली में निर्धारित दरों पर उ0प्र0 पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों व उनके आश्रितों के उपचार हेतु चिकित्सालयों से अनुबन्ध किये जाने पर गहन समीक्षा की गयी।
- उ0प्र0 पुलिस बल में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों तथा इनके परिवारीजनों को ही सी0जी0एच0एस0 की निर्धारित दर से चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने पर भी विचार–विमर्श किया गया।
- पुलिस कर्मी एवं उनके परिवारीजनों हेतु निर्धारित जॉचों का परीक्षण सी0जी0एच0एस0 की अनुमन्य दरों पर किये जाने हेतु विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में सभी प्रतिभागी संस्थानों (अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेन्टर) ने इस कल्याणकारी पहल के लिये सहर्ष अपनी सहमति प्रदान की।

(आम जनमानस में पुलिस की छवि एवं उनकी पुलिस से अपेक्षाओं पर आधारित शोध)

Public Perception of and Expectations from Uttar Pradesh Police

विगत ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं अपराधियों में कानून का भय व्याप्त करने हेतु कई ठोस कदम उठायें है। फुट पेट्रोलिंग, एन्टी–रोमियो स्क्वायड, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा, राजमार्गों पर सघन पेट्रोलिंग, दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही आदि इसके एक पहलू है। वहीं इसका दूसरा पहलू अपराधियों के विरूद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति के साथ–साथ आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनको सुगमता से पुलिस सेवायें प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान भी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस के इन प्रयासों से जनता में सुरक्षा की भावना कितनी जागृत हुई है तथा भविष्य के लिये उनकी क्या अपेक्षायें हैं – इन दो बिन्दुओं को समझने के लिये मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एक व्यापक **'इम्पैक्ट एसेसमेंट स्टडी'** करायी गयी।

साथ ही प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले को ''दिव्य कुम्भ, भव्य कुम्भ'' के साथ ''सुरक्षित कुम्भ'' बनाने के लिये उ0प्र0 पुलिस प्रतिबद्ध रही। इस वर्ष 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुम्भ मेले में आगमन किया जो अब तक का रिकार्ड है। इन श्रद्धालुओं का कुम्भ की सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसे जानने के लिये मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर्व के दिन भी एक सर्वे किया गया।

- कार्यदायी संस्था : PricewaterhouseCoopers (PwC) (खुली चयन प्रक्रिया से)
- अध्ययन की अवधि : नवम्बर 2018 से मार्च 2019
- अध्ययन प्रक्रिया : नागरिकों का सर्वे
- सम्मिलित जनपदों की संख्या : 9 (लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा, गौतमबुद्धनगर, झाँसी)
- सम्मिलित थाने : 44 (शहरी एवं ग्रामीण दोनों)
- सैम्पल साइज : 3,625 (प्रत्येक जनपद में सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त 400 या इससे अधिक (statistically significant at 95% confidence interval))

स्वतंत्रता

कार्यदायी संस्था ने स्वतंत्र रूप से सर्वे एजेंसी का चयन किया एवं उनको प्रशिक्षित किया गया। सर्वे के उत्तरों को CAPI टूल (कम्प्यूटर एडेड पसर्नल इन्टरब्यूज) पर इलेक्ट्रानिक रूप में रिकार्ड किये गये, ताकि डाटा की अक्षुण्यता बनी रहे।

उत्तरदाताओं से किये गये प्रश्न–

अधिकाँश प्रश्न इस रूप में थे कि ''क्या अपने आपको पिछले एक वर्ष में अधिक सुरक्षित महसूस करते है ?'', ''क्या आप सहमत हैं कि पिछले एक वर्ष में रात्रि के समय बाहर निकलना अधिक सुरक्षित हो गया है ?'' आदि।

जवाब में उत्तरदाताओं ने ''थोड़ा असहमत, थोड़ा सहमत, पूर्ण रूप से सहमत'' आदि बताया।

सर्वे के प्रमुख परिणाम :–

I. Public Perception

पुलिस की छवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये बिन्दु–

1–सेवा की गुणवत्ता (overall quality of service) 77 प्रतिशत उत्तरादाताओं का पुलिस सेवायें संतोषजनक, अच्छी या अति उत्कृष्ट माना।

2–सुरक्षा की भावना (Safety)

इसे पॉच क्षेत्रों में मापा गया–

व्यक्तिगत सुरक्षा

- 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से साल भर पहले से अब स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा

➢ 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर साल भर पहले से अधिक सुरक्षित हैं तथा 72 प्रतिशत ने कहा कि राजमार्ग पहले से अधिक सुरक्षित हैं।

व्यापार सुरक्षा

➢ 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनके व्यापार साल भर से अधिक सुरक्षित है।

रात्रि समय की सुरक्षा

➢ 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि रात्रि में वह पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों की सुरक्षा

➢ 87 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।

➢ 83 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके जनपद पहले से अधिक सुरक्षित हैं।

➢ 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बच्चों के प्रत्येक अपराध में विगत वर्ष से कमी आयी है, अतः वह पहले से अधिक सुरक्षित हैं।

87 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।

➢ 82 प्रतिशत व्यक्तियों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ घटित अपराधों में विगत वर्ष में कमी आयी है।

II. पुलिस से अपेक्षायें

उत्तरदाताओं ने जब यह पूछा गया कि एक अच्छे पुलिस अधिकारी के कौन कौन से गुण होते हैं तो **82 प्रतिशत ने इमानदारी, 65 प्रतिशत विनम्रता, 56 प्रतिशत निष्ठा तथा 35 प्रतिशत ने सहानुभूति के साथ समस्या को सुनना बताया।** (उत्तरदाताओं को एक से अधिक गुण चयनित करने का अधिकार दिया गया था)

पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के सुझाव में 61 प्रतिशत व्यक्तियों ने सार्वजनिक स्थलों पर और अधिक पुलिस बल की तैनाती का सुझाव दिया। 42 प्रतिशत ने पुलिस परियोजनाओं की बेहतर जानकारी देना तथा 40 प्रतिशत ने अधिक महिला कर्मियों के व्यवस्थापन का सुझाव दिया (उत्तरदाताओं को एक से अधिक गुण चयनित करने का अधिकार दिया गया था)

III. कुम्भ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण

➢ 93 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने पुलिस की दृश्यता (visibility) को अच्छा अथवा बहुत अच्छा पाया।

➢ 91 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने पुलिस को सतर्क अथवा अत्यधिक सतर्क पाया।

- 87 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने पुलिस के व्यवहार को अच्छा अथवा बहुत अच्छा पाया।
- 75 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने यातायात और भीड़ प्रबन्धन को अच्छा अथवा बहुत अच्छा पाया ।

आयोजित कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं की तुलना पूर्व में आयोजित कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं से करने के लिये ऐसे श्रद्धालुओं का सर्वे किया गया, जो दूसरी या इससे अधिक बार (Repeat Visitor) कुम्भ आये थे।

- 97 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने पुलिस की मौजूद पहले से अधिक (visible) पाया।
- 95 प्रतिशत से श्रद्धालुओं ने पुलिस को पहले से अधिक सतर्क पाया।
- 92 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने पुलिस के व्यवहार को पहले अधिक बेहतर पाया।
- 85 प्रतिशत श्रद्धालुओं ने यातायात एवं भीड़ प्रबन्धन को उनके पूर्व में कुम्भ यात्राओं से बेहतर पाया।

———